

मसूदा (अजमेर)

१४/५/१६

खावली काज न्याय आवे द्वारा केच पुष्पाब्द देवाण
पर पेश हुयी मूल वाद वाकी देवण के डि.की किला या युक्त है
वाकी के पत्र के रखाई निवेदाण जारी कर दी गई। यह खावली
पर सब कोई कार्रवाई शेष नहीं है कार्रवाई अर्थात् पत्र ड्रोप
की जाती है। मितल केवल शुमार होकर नम्बर ६ कम ही वाद
दफ्तार दारिखत है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

काना

विशुद्ध

१९१३

सरपंच
ग्राम पंचायत, देवासी
पं.स. मसूदा (अजमेर)

